संदर्भ सं. राबैं. डॉर/ एलटी नीति/ पीपीएस-9/118567-118578/ 2025-26 19 नवंबर 2025

परिपत्र सं. 280 / डॉर-72/ 2025

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

महोदया/ महोदय,

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दीर्घावधि पुनर्वित्त के अंतर्गत योजनाबद्ध ऋण वितरण के लिए परिचालन दिशानिर्देश - सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए वर्ष 2025-26 के लिए दीर्घावधि पुनर्वित्त हेतु परिचालन दिशानिर्देश संलग्न हैं. सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पुनर्वित्त आवेदनों पर पुनर्वित्त विभाग, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय द्वारा विचार किया जाएगा.

2. ये दिशानिर्देश नाबार्ड की वेबसाइट www.nabard.org पर सूचना केंद्र टैब के अंतर्गत भी उपलब्ध हैं..

3. कृपया पावती दें.

भवदीय

KANIYUR SUNDARARAJAN MAHESH

Signed by KANIYUR SUNDARARAJAN MAHESH
Date: 2025.11.19 17:57:07

(डॉ. के एस महेश)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक: यथोक्त

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग
प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: 022 2652 4926 • फ़ैक्स: 022 2653 0090 • ई मेल: dor@nabard.org
Department of Refinance
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: 022 2652 4926 • Fax: 022 2653 0090 • E-mail: dor@nabard.org

वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु योजनाबद्ध ऋण वितरण - परिचालन दिशानिर्देश

1. प्रस्तावना

नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में पात्र गतिविधियों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करता है.

2. उद्देश्य

दीर्घावधि पुनर्वित्त प्रदान करने के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में पूंजी निर्माण को सहयोग प्रदान करना.

ख) भारत सरकार और नाबार्ड की प्रमुख गतिविधियों के संवर्धन हेतु ऋण प्रवाह को निर्देशित करना.

ग) संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना.

घ) एमएसएमई, ग्रामीण आवास, कमर्शियल व्हीकल जैसी कृषीतर क्षेत्र की गतिविधियों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर परिभाषित अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की गतिविधियों को सहयोग प्रदान करना, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार के अवसरों का संवर्धन हो सके.

ङ) जलवायु अनुकूलन और शमन परियोजनाओं तथा उन परियोजनाओं के लिए सहायता, जिनमें ऋणदाता संस्थाओं द्वारा हरित आस्तियों का निर्माण किया जा रहा है.

च) भारत सरकार की ऋण-संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी योजनाओं के लिए सहायता, जिनकी सब्सिडी नाबार्ड के माध्यम से प्रदान की जाती है.

3. सहायता की प्रकृति

पुनर्वित्त सहायता निम्नलिखित दो विंडो के तहत विभिन्न प्रयोजनों के लिए संवितरण के प्रति प्रदान की जाती है:

3.1 पूर्व-मंजूरी

सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, नाबार्ड के अनुमोदन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करके पूर्व-मंजूरी प्रक्रिया के अंतर्गत पुनर्वित्त प्राप्त कर सकते हैं. नाबार्ड, परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता, वित्तीय व्यवहार्यता और बैंकिंग योग्यता का निर्धारण करने हेतु उचित मूल्यांकन के पश्चात् पुनर्वित्त मंजूर करेगा.

3.2 स्वचालित पुनर्वित्त सुविधा (एआरएफ़)

स्वचालित पुनर्वित्त सुविधा (एआरएफ़) बैंकों को अपने स्तर पर प्रस्तावों का मूल्यांकन करके और उधारकर्ता को वित्तपोषित करके, पूर्व-मंजूरी प्रक्रिया की विस्तृत प्रक्रिया से गुज़रे बिना, नाबार्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाती है. इसके पश्चात् बैंकों द्वारा ऋण वितरण के बाद विभिन्न उद्देश्यों का संकेत देते हुए आहरण आवेदन के आधार पर नाबार्ड से पुनर्वित्त का दावा किया जाए. ऐसे मामलों में, नाबार्ड पुनर्वित्त की मंजूरी और संवितरण दोनों एक साथ करता है. कृषि क्षेत्र (एफ़एस) और कृषीतर क्षेत्र के अंतर्गत सभी पात्र परियोजनाओं के लिए, कुल वित्तीय परिव्यय, बैंक ऋण या पुनर्वित्त की मात्रा की किसी भी ऊपरी सीमा के बिना, स्वचालित पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की जाती है.

4. पात्रता मानदंड

4.1 नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंडों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है. वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं:

क) न्यूनतम सीआरएआर मानदंड 11.50% (बेसल III के अनुसार) का अनुपालन.
ख) निवल एनपीए, बकाया निवल ऋणों और अग्रिमों के 9% से अधिक नहीं होना चाहिए. एनपीए की स्थिति की गणना समग्र रूप से बैंक के लिए की जाएगी.
ग) बैंक वर्ष 2024-2025 में निवल लाभ में होना चाहिए और पिछले 4 वर्षों में से कम से कम 3 वर्षों तक लाभ में होना चाहिए.

4.2 पात्रता मानदंड और जोखिम आकलन:

01 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 के दौरान पात्रता मानदंड और जोखिम मूल्यांकन, 31 मार्च 2024 या 31 मार्च 2025 (यदि 31 मार्च 2025 तक की लेखापरीक्षित स्थिति उपलब्ध हो) तक की लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति पर आधारित होंगे. 01 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक, यह 31 मार्च 2025 तक की लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति पर आधारित होगा. 01 जुलाई 2025 को या उसके बाद केवल उन्हीं बैंकों को मंजूरी और आहरण की अनुमति होगी, जिन्होंने लेखापरीक्षा पूरी कर ली है.

4.3 31 मार्च 2025 के बाद वित्तीय मापदंडों में किसी भी बदलाव को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा उचित प्रमाणीकरण के पश्चात् सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की वित्तीय स्थिति के आधार पर पात्रता के लिए माना जाएगा.

4.4 पात्रता मानदंड सरकारी प्रायोजित योजनाओं सहित कृषि और कृषीतर दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए लागू होंगे.

5. पात्र गतिविधियाँ

5.1 पात्र गतिविधियों की सूची अनुबंध II में दी गई है. यह सूची केवल सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं है.

5.2 ऊपर उल्लिखित नहीं की गई गतिविधियाँ, परंतु जो कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देती हैं, पुनर्वित्त सहायता के लिए पात्र हैं. बैंक की बहियों में बकाया पात्र ऋण, जिनकी शेष परिपक्वता अवधि आहरण आवेदन की तिथि तक 18 महीने से अधिक है, पुनर्वित्त के लिए पात्र हैं.

5.3 पात्रता, खातों के दोहराव से बचने, अंतिम उपयोगकर्ता के केवाईसी, शेष परिपक्वता, ऋण के संवितरण और चुकौती की तिथि आदि के संबंध में अंतर्निहित आस्ति पूल की उचित जांच नाबार्ड को पूल प्रस्तुत करने से पहले की जाए.

6. पुनर्वित्त की मात्रा

सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र (असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा) के राज्यों, पहाड़ी क्षेत्र (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड), पूर्वी क्षेत्र (पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह), लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़ और नाबार्ड द्वारा अधिसूचित अन्य क्षेत्रों के लिए पुनर्वित्त की सीमा सभी उद्देश्यों के लिए पात्र बैंक ऋणों का 95% होगी. अन्य क्षेत्रों के लिए पुनर्वित्त की सीमा:

क) अनुबंध II में इंगित मदों के अनुसार सभी प्रमुख क्षेत्रों के लिए 95%.

ख) निवेश ऋण और कृषक साथी योजना के लिए अन्य सभी अनुमोदित उद्देश्यों के लिए 90%.

7. ब्याज दर और अन्य

7.1 पुनर्वित्त पर ब्याज:

पुनर्वित्त पर ब्याज दर अवधि, प्रचलित बाजार दर, जोखिम धारणा आदि के आधार पर तय की जाती है और समय-समय पर इसमें संशोधन किया जा सकता है.

आंतरिक जोखिम रेटिंग के आधार पर पुनर्वित्त पर ब्याज दर के अतिरिक्त निर्धारित ऋण जोखिम प्रीमियम लिया जाएगा.

ब्याज दर, मंजूरी की शर्तों के आधार पर, स्थिर या परिवर्तनशील हो सकती है. परिवर्तनशील ब्याज दर के नियम और शर्तें अनुबंध I में उल्लिखित हैं.

7.2 दंडात्मक प्रभार:

चूक की स्थिति में, चूक की अवधि के लिए चूक की गई राशि पर 2.00% प्रति वर्ष (लागू कर सहित) का दंडात्मक प्रभार लगाया जाएगा.

7.3 पूर्व-भुगतान सुविधा प्रभार:

पूर्व-भुगतान सुविधा शुल्क 2.50% प्रति वर्ष (लागू करों सहित) होगा और पूर्व-भुगतान की तिथि से लेकर किस्त के वास्तविक भुगतान की तिथि तक की पूरी अवधि के लिए प्रत्येक देय किस्त पर अलग से देय होगा, जिसकी न्यूनतम अवधि 6 महीने होगी. पूर्व-भुगतान केवल पूर्व-भुगतान की तिथि को छोड़कर, न्यूनतम 3 कार्य-दिवसों की सूचना देने के बाद ही शुरू किया जा सकता है. डिमांड नोटिस जारी होने के बाद किए गए भुगतानों पर पूर्व-भुगतान सुविधा शुल्क नहीं लगाया जाएगा.

8. चुकौती अवधि

पुनर्वित्त के लिए चुकौती अवधि 18 महीने (न्यूनतम) से लेकर 5 वर्ष या उससे अधिक तक होती है, बशर्ते कि ऐसे किसी भी ऋण या अग्रिम की अधिकतम अवधि 25 वर्ष से अधिक न हो. निश्चित दर वाले उत्पाद के लिए पुनर्वित्त की मूल राशि की चुकौती की आवधिकता त्रैमासिक होगी. किसी भी माह में किसी भी तिथि को मंजूर पुनर्वित्त के लिए मूल राशि की पहली देय तिथि, संवितरण की तिथि से छह माह पूरे होने के बाद का अंतिम दिन होगी और उसके बाद के चुकौती तिमाही आधार पर होंगे. ब्याज भुगतान की देय तिथियाँ मासिक या त्रैमासिक आधार पर होंगी. बैंक के अनुरोध और स्वीकृति शर्तों के अनुसार, निश्चित ब्याज दर के अंतर्गत स्थगन अवधि सहित अनुकूल चुकौती अनुसूचियों की अनुमति है.

अस्थायी दर के मामले में, ब्याज का भुगतान केवल त्रैमासिक होगा और अनुकूल चुकौती अनुसूची की अनुमति नहीं है. मूलधन की चुकौती और ब्याज के भुगतान सहित अस्थायी ब्याज दर के लिए लागू नियम और शर्तें अनुबंध I में दी गई हैं.

स्वीकृत चुकौती अनुसूची मंजूरी पत्र में निर्दिष्ट की जाएगी.

9. प्रतिभूति

पुनर्वित्त के माध्यम से ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रतिभूति वह होगी जो नाबार्ड द्वारा सामान्य पुनर्वित्त करार (जीआरए)/ मंजूरी पत्र (पत्रों) में निर्दिष्ट की जाए. इसके अलावा, बैंक को नाबार्ड के पक्ष में भारतीय रिज़र्व बैंक से एक अधिदेश प्राप्त करना होगा, जहाँ उसका चालू खाता है. बोर्ड का संकल्प या बोर्ड की उप-समिति का संकल्प, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार लेने की शक्तियां, नाबार्ड से उधार लेने का अधिकार, नमूना हस्ताक्षरों के साथ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची और यह पुष्टि करने वाला प्रमाण-पत्र कि नाबार्ड से लिया गया वर्तमान उधार सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की समग्र उधार सीमा के भीतर है, नाबार्ड को प्रस्तुत किया जाना है.

10. परीयोजनाओं की पूर्व-लेखापरीक्षा, अनुप्रवर्तन और पर्यवेक्षण

यदि आवश्यक हो तो नाबार्ड को यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन करने का अधिकार होगा कि पुनर्वित्त की शर्तों का पालन किया जा रहा है.

11. अन्य सभी मौजूदा नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी.

अनुबंध I

अस्थायी ब्याज दर के तहत संविदा की शर्तें

(अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घावधि पुनर्वित्त)

1. **बेंचमार्क दर:** बेंचमार्क दर और स्प्रेड का निर्धारण और घोषणा नाबार्ड द्वारा की जाएगी. वर्तमान में, सभी अस्थायी रेट उत्पादों और दीर्घावधि पुनर्वित्त के अंतर्गत अवधियों के लिए बेंचमार्क दर 3 महीने का टी-बिल है. बाह्य बेंचमार्क दरें बाज़ार से जुड़ी होती हैं और रीसेट के समय बदल जाती हैं.
2. **ब्याज दर:** अनुकूल ब्याज दरें बाज़ार आधारित होंगी और समय-समय पर नाबार्ड द्वारा तय की जाएँगी. ब्याज दर में 3 महीने की टी-बिल बेंचमार्क दर, स्प्रेड और लागू प्रीमियम शामिल होंगे, जिनका निर्धारण नाबार्ड द्वारा समय-समय पर किया जाएगा.
3. **ब्याज दर:** ब्याज दर की गणना संवितरण की तिथि पर उपलब्ध/ प्रचलित बेंचमार्क 3 माह टी-बिल दर के आधार पर की जाती है.

   उदाहरण: यदि पुनर्वित्त के संवितरण की तिथि 28.06.2025 है, तो 28.06.2025 को संवितरण के लिए ब्याज दर तय करने हेतु 27.06.2025 के दिन के अंत पर बेंचमार्क ब्याज दर और स्प्रेड पर विचार किया जाएगा.
4. **स्प्रेड में परिवर्तन:** किसी विशेष ऋण अवधि के लिए मंजूरी के समय तय किया गया स्प्रेड, ऋण की पूरी अवधि के लिए स्थिर रखा जाएगा. नाबार्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग आस्तियों के मानक प्रावधानों की आवश्यकता/ जोखिम भार में वृद्धि किए जाने की स्थिति में प्रसार में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.
5. **ब्याज रीसेट:** ब्याज दर लागू बेंचमार्क दर (बेंचमार्क रीसेट तिथि) के अनुसार रीसेट की जाएगी, अर्थात मूल राशि के वितरण की तिथि से 90 दिनों के बाद (अर्थात 91वें दिन), चाहे वह शनिवार/ रविवार/ छुट्टी का दिन हो.
   उदाहरण: यदि पुनर्वित्त के संवितरण की तिथि 28.06.2025 है, तो पहला रीसेट 26.09.2025 को होगा.
6. **जोखिम प्रीमियम:** जोखिम प्रीमियम को मंजूरी के समय नाबार्ड द्वारा आंतरिक रेटिंग के आधार पर समायोजित किया जाता है.
7. **पूर्व-भुगतान प्रभार:** यदि बैंक एक वर्ष से पहले पूर्व-भुगतान करना चाहता है, तो पूर्व-भुगतान प्रभार लगाया जाएगा. भुगतान की तिथि पर प्रचलित बेंचमार्क दर (3 महीने का टी-बिल) को पूर्व-भुगतान के लिए माना जाएगा और शुल्क 2.50% प्रति वर्ष + लागू कर होंगे. ये शुल्क पूर्व-भुगतान की तिथि से किस्त भुगतान की तिथि तक की पूरी अवधि के लिए प्रत्येक देय किस्त पर अलग-अलग लागू होंगे, जिसकी न्यूनतम अवधि 6 महीने होगी. पूर्व-भुगतान केवल न्यूनतम 3 कार्य-दिवसों की सूचना देने के बाद ही शुरू किया जा सकता है.
8. **दंडात्मक प्रभार:** चूक की स्थिति में, चूक की अवधि के लिए चूक की गई राशि पर 2.00% प्रति वर्ष (लागू कर सहित) का दंडात्मक शुल्क लगाया जाएगा.
9. **मूलधन की चुकौती:** मूल किस्त की चुकौती संवितरण की तिथि से तिमाही आधार पर किया जाएगा और पुनर्वित्त की मंजूरी की शर्तों के अनुसार होगा. पुनर्वित्त के लिए मंजूर मूल राशि की पहली देय तिथि, किसी भी

माह में किसी भी तिथि को, संवितरण की तिथि से छह माह पूरे होने के बाद का अंतिम दिन होगी और उसके बाद की चुकौती तिमाही आधार पर होगी.

10. **ब्याज का भुगतान:** ब्याज का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाएगा. ब्याज की देय तिथियाँ 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी और 1 अप्रैल होंगी.

उदाहरण:

क) यदि संवितरण तिथि महीने की 15 तारीख से पहले पड़ती है, मान लीजिए 11.09.2025, तो ब्याज के पहले भुगतान की देय तिथि 01.10.2025 होगी. इसके बाद, देय तिथि प्रत्येक तिमाही के पहले दिन होगी.

ख) यदि संवितरण तिथि 15 तारीख या उसके बाद आती है, मान लीजिए 17.09.2025, तो ब्याज के पहले भुगतान की देय तिथि 01.01.2026 होगी. इसके बाद, देय तिथि प्रत्येक तिमाही के पहले दिन होगी..

तथापि, ऋण की परिपक्वता/ समापन पर ब्याज के भुगतान की नियत तिथि मूलधन की चुकौती के अगले दिन होगी, अर्थात मूलधन की अंतिम किस्त की तारीख के अगले दिन..

11. दीर्घावधि पुनर्वित्त के अंतर्गत योजनाबद्ध ऋण वितरण हेतु परिचालन दिशानिर्देश की अन्य सभी मौजूदा नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी.
12. संरचित चुकौती अनुसूची को अनुमति नहीं है.

अनुबंध II

विभिन्न ऋण उत्पादों के तहत कवर की गई गतिविधियों की सूची

दीर्घावधि पुनर्वित्त

1.1 प्रमुख क्षेत्र

पुनर्वित्त जारी करने हेतु जिन प्रमुख क्षेत्रों को वरीयता दी जाएगी, उनमें शामिल है:

(1) भूमि विकास एवं बंजर भूमि विकास, मृदा संरक्षण एवं वाटरशेड विकास.

(2) लघु एवं सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप सिंचाई

(3) जल बचत और जल संरक्षण उपकरण

(4) डेयरी

(5) मुर्गीपालन

(6) मधुमक्खी पालन

(7) रेशम उत्पादन

(8) मत्स्यपालन

(9) पशुपालन

(10) स्वयं सहायता समूहों/ संयुक्त देयता समूहों/ रायथु मित्र समूहों को ऋण

(11) शुष्क भूमि कृषि

(12) ठेके पर कृषि

(13) वृक्षारोपण एवं बागवानी

(14) कृषि-वानिकी

(15) किसानों द्वारा बीज उत्पादन

(16) ऊतक संवर्धन पौध उत्पादन

(17) कृषि उपकरण एवं मशीनरी

(18) नियंत्रित परिस्थितियों अर्थात पॉली हाउस/ ग्रीन हाउस में उच्च मूल्य/ विदेशी सब्जियों, कटे हुए फूलों का उत्पादन

(19) सब्जियों एवं फलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशरूम, ऊतक संवर्धन प्रयोगशालाओं, परिशुद्ध कृषि जैसे उच्च तकनीक वाले निर्यातोन्मुखी उत्पादन की स्थापना

(20) कृषि-क्लीनिक एवं कृषि-व्यवसाय केंद्र

(21) ग्रामीण आवास

(22) कृषि प्रसंस्करण

(23) कृषि विपणन आधारभूत संरचना (शीत भंडारण, गोदाम, बाज़ार केंद्र आदि सहित)

(24) गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत

(25) पहले से कार्यान्वित वाटरशेड एवं जनजातीय विकास कार्यक्रमों के क्षेत्रों में वित्तपोषण

(26) पादप ऊतक संवर्धन एवं कृषि जैव प्रौद्योगिकी, बीज उत्पादन, जैव-कीटनाशकों, जैव-उर्वरक और वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन

(27) कृषि को आगे ऋण देने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स), कृषक सेवा समितियों (एफ़एसएस) और वृहद आकार की आदिवासी बहुउद्देशीय समितियों (लैम्प्स) को बैंक ऋण

(28) कॉर्पोरेट किसानों, कृषक उत्पादक संगठनों/ व्यक्तिगत कृषकों की कंपनियों, साझेदारी फर्मों और कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किसानों की सहकारी समितियों को प्रति उधारकर्ता ₹4 करोड़ की कुल सीमा तक ऋण.

(29) नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा जनरेटर, बायोमास आधारित ऊर्जा जनरेटर, पवन चक्कियाँ, सूक्ष्म-जलविद्युत संयंत्र और गैर-पारंपरिक ऊर्जा आधारित सार्वजनिक उपयोगिताएँ जैसे स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम और दूरस्थ गाँवों का विद्युतीकरण

(30) एकल सौर कृषि पंपों की स्थापना और ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण; बंजर/ परती भूमि पर या किसान के स्वामित्व वाली कृषि भूमि पर खड़ी अवस्था में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना.

(31) जैव ईंधन के उत्पादन हेतु तेल निष्कर्षण/ प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण, उनके भंडारण और वितरण आधारभूत संरचना के साथ-साथ कंप्रेस्ड जैव गैस (सीबीजी) संयंत्रों की स्थापना हेतु उद्यमियों को ऋण

(32) ऐसे व्यक्तियों, संस्थाओं या संगठनों द्वारा प्रबंधित कस्टम हायरिंग इकाइयाँ जो ट्रैक्टर, बुलडोजर, कुआँ खोदने वाले उपकरण, थ्रेशर, कंबाइन आदि का बेड़ा रखते हैं और ठेके के आधार पर किसानों के लिए कृषि कार्य करते हैं.

(33) कृषि करने वाले एफ़पीओ/ एफ़पीसी को पूर्व-निर्धारित मूल्य पर उनकी उपज के सुनिश्चित विपणन के साथ प्रति उधारकर्ता इकाई ₹10 करोड़ तक के ऋण

(34) कृषि आधारभूत संरचना के लिए ऋण, बैंकिंग प्रणाली से प्रति उधारकर्ता ₹100 करोड़ की कुल मंजूरी सीमा के अधीन.

(35) किसानों की सहकारी समितियों को सदस्यों की उपज की खरीद हेतु ₹10 करोड़ तक के ऋण

(36) कृषि एवं संबद्ध सेवाओं में शामिल स्टार्ट-अप्स को ₹50 करोड़ तक के ऋण

(37) बैंकिंग प्रणाली से प्रति उधारकर्ता ₹100 करोड़ की कुल मंजूर सीमा तक खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण के लिए ऋण.

(38) प्राथमिकता क्षेत्र मास्टर निर्देशों के अनुबंध III के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के अंतर्गत अनुमेय गतिविधियाँ.

(39) जलवायु अनुकूलन एवं शमन परियोजनाएँ तथा वे परियोजनाएँ जहाँ ऋणदाता संस्थानों द्वारा हरित आस्तियों का निर्माण किया जा रहा है.

(40) विनिर्माण और सेवा दोनों के लिए एमएसएमई, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करते हैं.

(41) भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की परिभाषा के अनुसार स्टार्ट-अप्स जो एमएसएमई, कृषि एवं संबद्ध सेवाओं में शामिल हैं.

(42) केवीआई (खादी ग्रामोद्योग).

1.2 अन्य गतिविधियाँ

(1) कमर्शियल व्हीकल

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा सुविधा, पेयजल सुविधा, स्वच्छता सुविधा और अन्य सामाजिक आधारभूत संरचना

(3) कृषक साथी योजना

(4) कारीगरों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के इनपुट की आपूर्ति और उत्पादन के विपणन में विकेन्द्रीकृत क्षेत्र की सहायता करने वाली संस्थाओं को ऋण.

(5) प्राथमिकता क्षेत्र को आगे ऋण देने के लिए एमएफ़आई (एनबीएफ़सी-एमएफ़आई, समिति, ट्रस्ट, आदि) को बैंक ऋण

(6) प्राथमिकता क्षेत्र को आगे ऋण देने के लिए एनबीएफ़सी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) को बैंक ऋण

(7) ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आवास के लिए व्यक्तियों को आगे ऋण देने के लिए एचएफ़सी (आवास वित्त कंपनियों) को बैंक ऋण.

(8) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लिए बैंकों और एनबीएफ़सी के बीच सह-ऋण मॉडल.

(9) कृषि के लिए निर्यात ऋण (पूर्व-शिपमेंट और पश्च-शिपमेंट वित्त)

(10) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित शैक्षिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को दिए जाने वाले ऋण, जो ₹25 लाख से अधिक न हों, पात्र माने जाएँगे.

(11) ऊपर उल्लिखित नहीं की गई कोई अन्य गतिविधियाँ भी शामिल की जा सकती हैं, यदि वे कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देती हैं.